सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 63 राँची, मंगलवार, 22 फरवरी, 2022 (ई०)

### परिवहन विभाग

--------

अधिसूचना

21 फरवरी, 2022

**अधिसूचना संख्या-परि०आ०-2767/2012-175**--जल संसाधन विभाग के पत्रांक-5879, दिनांक-25.11.2021 द्वारा 06 कनीय/सहायक अभियंता (यांत्रिक/ऑटोमोबाईल अभियंत्रण) की सेवा मोटरयान निरीक्षक के कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति पर सेवा प्राप्त हुई है। परिवहन विभाग के आदेश सं०-05, दिनांक-21.01.2021 एवं आदेश सं०-19, दिनांक-21.02.2022 के आलोक में सेवा प्राप्त कनीय/सहायक अभियंता को मोटरयान निरीक्षक के पद पर निम्नवत पदस्थापित किया गया है :-

| क्र.सं. | मोटरयान निरीक्षक का नाम | पदस्थापित कार्यालय का नाम | अतिरिक्त जिला का प्रभार |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजीव रंजन भगत, मोटरयान निरीक्षक । | प० सिंहभूम, चाईबासा | सरायकेला-खरसावाँ |
| 2. | श्री सुदीप कुजूर, मोटरयान निरीक्षक । | गोड्डा | - |
| 3. | श्री संजय हाँसदा, मोटरयान निरीक्षक । | देवघर | - |
| 4. | श्री सिरिल संतोष बेसरा, मोटरयान निरीक्षक । | लोहरदगा | सिमडेगा |
| 5. | श्री संतोष सोरेन, मोटरयान निरीक्षक । | रामगढ़ | - |
| 6. | श्री रंजीत मरांडी, मोटरयान निरीक्षक । | पलामू | - |

2. उक्त के आलोक में उपरोक्त सभी मोटरयान निरीक्षकों को मोटरयान निरीक्षक के दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निवर्हन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

3. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**मनोज कुमार,**
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग ।

--------

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 63 -- 50